ए.

केनरा बैंक

बनाम

मैसर्स यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। लिमिटेड और ओ. आर. एस. (2020 की सिविल अपील संख्या 1042)

बी.

फरवरी 06,2020

[एस**.** अब्दुल नजीर और दीपाक गुप्ता**,** जे**.** जे**.]**

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 -एस. 2 (डी)-बीमित व्यक्ति द्वारा ली गई बीमा पॉलिसी के तहत "लाभार्थी", यदि अधिनियम के तहत "उपभोक्ता"-किसानों, बैंक और शीत भंडार के बीच त्रिपक्षीय समझौता-किसानों की कृषि उपज को शीत भंडार में संग्रहीत किया गया था-शीत भंडार ने एक बीमा कंपनी से स्टॉक का बीमा कराया-किसानों ने बैंक को कृषि उपज का अनुमान लगाया-बैंक ने ऋण जारी किया-आग से नष्ट कृषि उपज-किसानों ने दावा किया कि बीमा कंपनी आग लगने की तारीख तक कृषि उपज के मूल्य का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थी-बीमा कंपनी ने तर्क दिया कि आग आकस्मिक नहीं थी और किसान उपभोक्ता नहीं थे-राज्य और राष्ट्रीय आयोग ने समवर्ती रूप से माना कि आग आकस्मिक थी; किसानों को उपभोक्ता ठहराया गया था-अपील पर कहा गयाःचाहे आग शॉर्ट सर्किट से लगी हो या किसी अन्य कारण से, जब तक बीमित व्यक्ति आग लगाने वाला व्यक्ति नहीं है, तब तक बीमा कंपनी बीमा पॉलिसी के संदर्भ में अपने दायित्व से बच नहीं सकती है-बीमा कंपनी की दलील है कि मिट्टी के तेल के उपयोग से आग लगी थी और इसलिए यह उत्तरदायी नहीं है, अस्वीकार कर दिया गया है-बीमा पॉलिसी की शर्तों के साथ पढ़ा गया त्रिपक्षीय समझौता यह स्पष्ट करता है कि पक्षों का इरादा यह था कि उन्हें किसी भी अप्रिय नुकसान की स्थिति में बीमा कंपनी द्वारा मुआवजा दिया जाएगा-अधिनियम के तहत उपभोक्ता की परिभाषा बहुत व्यापक है और इसमें बीमित द्वारा प्राप्त बीमा का लाभ उठाने वाले लाभार्थी शामिल हैं-इस प्रकार, किसान पॉलिसी के तहत एक लाभार्थी है और इसलिए निश्चित रूप से एक उपभोक्ता-आदेश

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

498 ए.

499

केनरा बैंक बनाम मेसर्स यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और ओआरएस।

उपभोक्ता संरक्षण-बीमा पॉलिसी-व्याख्या के सिद्धांत-चर्चा की गई।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 -धारा 2 (1) (डी) (आई)-बीमा पॉलिसी-बीमा कंपनी और दावेदारों के बीच अनुबंध की गोपनीयता-यदि आवश्यक हो-आयोजितःजहाँ तक अधिनियम का संबंध है, यह आवश्यक नहीं है कि बीमा कंपनी और दावेदारों के बीच अनुबंध की गोपनीयता हो-यह आवश्यक नहीं है कि वे लाभार्थी बीमा अनुबंध के पक्षकार हों।अनुबंध-बेलर और बेली संबंध-एक कोल्ड स्टोर में संग्रहीत किसानों का सामान आग से नष्ट हो गया था-कोल्ड स्टोर ने बीमा कंपनी से इसका बीमा कराया था-बीमा कंपनी ने तर्क दिया कि चूंकि कोल्ड स्टोर ने माल को विश्वास में रखा था, इसलिए वे उत्तरदायी नहीं थे-आयोजितःअस्वीकृत-किसानों ने कोल्ड स्टोर पर विचार किया और इसलिए, माल को स्वयं ट्रस्ट में नहीं रखा गया-कृषि उपज का कब्जा बेलर, यानी किसान द्वारा कोल्ड स्टोर यानी बेली को अनुबंध के संदर्भ में सौंप दिया गया था-यह बीमा पॉलिसी के बहिष्करण खंड 5 के तहत परिकल्पित मामला नहीं है-माल न तो कमीशन पर रखा गया था-बीमा।

बी.

सी.

डी.

सिद्धांत/सिद्धांत-उबेर्रिम विश्वास का सिद्धांत-जब नहीं

लागू-चर्चा की गई।

ई.

उपभोक्ता संरक्षण-बीमा पॉलिसी-भौतिक तथ्यों का खुलासा न करना-इसका प्रभाव-आयोजितःकिसी अनुबंध को अमान्य बनाने के लिए गैर-प्रकटीकरण कुछ बहुत ही भौतिक तथ्य का होना चाहिए-गलत निरूपण या गलत विवरण केवल पॉलिसी को अमान्य बनाता है-यदि बीमा

कंपनी प्रस्ताव प्रपत्र को स्वीकार करते समय बीमित व्यक्ति से किसी भी अस्पष्टता को स्पष्ट करने के लिए नहीं कहती है तो प्रीमियम स्वीकार करने के बाद यह आग्रह नहीं किया जा सकता है कि बीमित व्यक्ति द्वारा गलत घोषणा की गई थी।

एफ.

उपभोक्ता संरक्षण-बीमा नीति-किसानों, बैंक और शीत भंडार के बीच त्रिपक्षीय समझौता-किसानों के सामान को शीत भंडार में रखा गया-बीमा कंपनी के साथ बीमित सामान-किसानों ने बैंक को काल्पनिक सामान दिया-बैंक ने ऋण जारी किया-बीमा कंपनी को त्रिपक्षीय समझौते का खुलासा नहीं किया-आग से नष्ट माल-आयोजितःजब बैंक वर्तमान मामले की तरह माल के काल्पनिककरण के खिलाफ ऋण जारी करता है और इस बात पर जोर देता है कि माल का उसके बकाया की सुरक्षा के लिए बीमा किया जाना चाहिए, तो बैंक का कर्तव्य है कि वह बीमा कंपनी को पॉलिसी के बारे में सूचित करे -

जी.

एच.

500 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 7 एस. सी. आर.

ए.

वर्तमान मामले में, मामले को केवल इसलिए खींचा गया क्योंकि पॉलिसी में किसानों के नाम का उल्लेख नहीं किया गया था या त्रिपक्षीय समझौते को बीमा कंपनी को नहीं सौंपा गया था-बैंक की ओर से कुछ स्तर की कमी-इस प्रकार, यह संविदात्मक दर पर ब्याज का दावा नहीं कर सकता है और ऋण देने की तारीख से 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से सरल ब्याज लेने का हकदार है।

बी.

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने कहाः**1.** न तो मेसर्स ट्रुथ लैब्स **(**बीमा कंपनी द्वारा निर्भर**)** की रिपोर्ट में और न ही बीमा कंपनी की अन्य रिपोर्टों में यह दिखाने के लिए कुछ है कि बीमित व्यक्ति ने कोल्ड स्टोर में आग लगा दी थी।चाहे आग शॉर्ट सर्किट से लगी हो या किसी अन्य कारण से, जब तक बीमित व्यक्ति आग लगाने वाला व्यक्ति नहीं है, बीमा कंपनी बीमा पॉलिसी के संदर्भ में अपने दायित्व से बच नहीं सकती है।बीमा कंपनी का यह तर्क कि मिट्टी के तेल के उपयोग से आग लगी थी और इसलिए यह उत्तरदायी नहीं है, खारिज कर दिया जाता है।**[**पैरा **16] [512-**सी**-**डी**]**

सी.

डी.

2. बीमा पॉलिसियों की व्याख्या से संबंधित सिद्धांत अच्छी तरह से तय किए गए हैं और विवाद में नहीं हैं।साथ ही, पॉलिसी के प्रावधानों को इस तरह से पढ़ा और व्याख्या की जानी

चाहिए ताकि बीमित और लाभार्थियों सहित सभी पक्षों की उचित अपेक्षाओं को प्रभावी बनाया जा सके।यह भी अच्छी तरह से तय किया गया है कि कवरेज प्रावधानों की व्यापक रूप से व्याख्या की जानी चाहिए और यदि कोई अस्पष्टता है, तो उसे बीमित व्यक्ति के पक्ष में हल किया जाना चाहिए।दूसरी ओर, अपवर्जन खंडों को संक्षिप्त रूप से पढ़ा जाना चाहिए।नीति और इसके घटकों को एक अंतर के रूप में देखा जाना चाहिए और एक ऐसा अर्थ दिया जाना चाहिए जो पक्षों की अपेक्षाओं और व्यावसायिक वास्तविकताओं को भी आगे बढ़ाता है।पूरी नीति को इस तरह से समझा और जांचा जाना चाहिए और जब ऐसा किया जाता है, तो व्याख्या एक व्यावसायिक रूप से समझदार व्याख्या बन जाती है।पॉलिसी की शर्तों के साथ पढ़ा गया त्रिपक्षीय समझौता यह स्पष्ट है कि बैंक ने स्टॉक का बीमा कराने पर जोर दिया।किसानों को बताया गया कि वे प्रीमियम का भुगतान करेंगे।कोल्ड स्टोर ने किराया तय करते समय स्पष्ट रूप से किराए में प्रीमियम को शामिल किया।यह स्पष्ट था कि पक्षों का इरादा यह था कि किसी भी अप्रिय नुकसान की स्थिति में उन्हें बीमा कंपनी द्वारा मुआवजा दिया जाएगा।**[**पैरा **21] [513-**जी**; 514-**ए**-**सी**]** ए

ई.

एफ.

जी.

एच.

501

केनरा बैंक बनाम मेसर्स यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और ओआरएस।

3. जहां तक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम**, 1986** का संबंध है**,** यह आवश्यक नहीं है कि बीमा कंपनी और दावेदारों के बीच अनुबंध की गोपनीयता होनी चाहिए।धारा **2 (**डी**)** के तहत उपभोक्ता की परिभाषा **2** भागों में है।धारा **2 (1) (**डी**)** का उपखंड **(**आई**)** एक ऐसे व्यक्ति से संबंधित है जो कोई भी सामान खरीदता है और इसमें उस व्यक्ति के अलावा ऐसे सामान का कोई भी उपयोगकर्ता शामिल है जो ऐसी वस्तु खरीदता है जब तक कि उपयोग ऐसे व्यक्ति की मंजूरी से किया जाता है।इसलिए, पहले भाग में भी उपभोक्ता की परिभाषा में न केवल वह व्यक्ति शामिल है जिसने सामान खरीदा है, बल्कि उसमें सामान का कोई भी उपयोगकर्ता शामिल है, जब तक कि ऐसा उपयोगकर्ता उस व्यक्ति की मंजूरी से किया जाता है जिसने सामान खरीदा है।सेवाओं को काम पर रखने या उनका लाभ उठाने के संबंध में उपभोक्ता की परिभाषा बहुत व्यापक है।खंड के इस भाग में, उपभोक्ता में न केवल वह व्यक्ति शामिल है जिसने सेवाओं को काम पर रखा है या उनका लाभ उठाया है, बल्कि ऐसी सेवाओं का कोई भी लाभार्थी भी शामिल है।इसलिए, एक बीमित व्यक्ति वह व्यक्ति हो सकता है जो बीमा कंपनी की सेवाओं को नियुक्त करता है या उनका लाभ उठाता है, लेकिन कई अन्य व्यक्ति भी हो सकते हैं

जो सेवाओं के लाभार्थी हो सकते हैं।यह आवश्यक नहीं है कि वे लाभार्थी बीमा अनुबंध के पक्षकार हों।वे उपभोक्ता इसलिए नहीं हैं कि वे बीमा अनुबंध के पक्षकार हैं, बल्कि इसलिए हैं कि वे बीमित व्यक्ति द्वारा ली गई पॉलिसी के लाभार्थी हैं।अधिनियम के तहत उपभोक्ता की परिभाषा बहुत व्यापक है और इसमें ऐसे लाभार्थी शामिल हैं जो बीमित व्यक्ति द्वारा लिए गए बीमा का लाभ उठा सकते हैं।बैंक, कोल्ड स्टोर और किसानों के बीच हुए त्रिपक्षीय समझौते के तहत किसानों के स्टॉक को बैंक के साथ प्रतिभूति के रूप में माना गया था और बैंक ने जोर देकर कहा था कि उक्त स्टॉक का बीमा उसके ब्याज की रक्षा के लिए किया जाना चाहिए। त्रिपक्षीय समझौते का अंतिम खंड स्पष्ट शब्दों में कोल्ड स्टोर को माल का बीमा करने, उपज की क्षतिपूर्ति करने, जोखिम को पूरा करने और ऋण राशि को कवर करने के लिए बाध्य करता है।यह बीमा पॉलिसी दूसरे पक्ष यानी किसान की कीमत पर लेनी पड़ती थी।इसलिए इस बात में कोई संदेह नहीं हो सकता कि किसान इस नीति के तहत लाभार्थी है।इसलिए, किसान निश्चित रूप से एक उपभोक्ता है और दोनों आयोगों के आदेशों को बरकरार रखा जाता है कि अधिनियम के तहत शिकायत बनाए रखने योग्य है।**[**पारस **26-28] [515-H; 516-A-H]**

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

4. वर्तमान मामले में, किसान शीत भंडार पर विचार करने के लिए सहमत हो गया था और इसलिए, माल था

एच.

ए.

यह स्वयं न्यास में नहीं रखा गया था, लेकिन माल को विचार के लिए माल के आधार के रूप में शीत भंडार द्वारा रखा गया था।कृषि उपज का कब्जा बेलर यानी किसान द्वारा अनुबंध के संदर्भ में कोल्ड स्टोर यानी बेली को सौंप दिया गया था।किसान और शीत भंडार के बीच अंतर-अधिकार और देनदारियाँ हो सकती हैं, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि माल 'विश्वास में' रखा गया था।माल को 'कमीशन पर' भी नहीं रखा गया था।कोई कमीशन देय नहीं था और केवल किराए का भुगतान किया जाता था।**[**पैरा **33] [518-**बी-डी**]**

बी.

5. बीमा पॉलिसी में यह परिकल्पना की गई थी कि केवल बैंक और बीमित व्यक्ति का ही नहीं, बल्कि अन्य पक्षों का भी हित होगा।इसलिए, यह बीमा कंपनी को सत्यापित करना और यह पता लगाना था कि माल का मालिक कौन था।यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता था कि सभी सामान शीत भंडार के हैं।बीमा कंपनी की इस धारणा का कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है कि उसने शीत भंडार से संबंधित वस्तुओं का बीमा किया था।शीत भंडार का निर्माण इस तरह से किया जाता है कि शीत भंडार में कई डिब्बे होते हैं।कोई भी व्यक्ति कोल्ड स्टोर में रखने के लिए छोटी या बड़ी मात्रा में सामान जमा कर सकता है।आम तौर पर, यह तीसरे पक्ष का सामान होता है जिसे शीत भंडार में संग्रहीत किया जाता है और इसलिए, न्यायालय बीमा की एक नीति के साथ काम कर रहा है जिसके तहत शीत भंडार में परिसर और स्टॉक और सामान का बीमा किया गया है।स्वाभाविक परिणाम यह होगा कि बीमा कंपनी को पता होना चाहिए कि माल तीसरे पक्ष का है।बीमा पॉलिसी से यह पाया गया है कि जोखिम के विवरण के संबंध में, बीमा में "गुंटूर मिर्च/ब्याडिगी मिर्च/अन्य किस्म की मिर्च, जवार के बीज, बंगाल गरम, लाल चना, तंबू, धनिया के बीज और अन्य दालों का स्टॉक शामिल है।" व्यापार में इस स्टॉक को **Rs.30** करोड़ की राशि के लिए कवर किया गया था और तदनुसार प्रीमियम लिया गया था।एक विवेकपूर्ण बीमा कंपनी को इतनी बड़ी राशि की पॉलिसी जारी करने से पहले, या कम से कम माल के मूल्य और प्रकृति का पता लगाना चाहिए था।बीमा कंपनी यहां सबसे बड़ी राष्ट्रीयकृत बीमा कंपनियों में से एक है और यह अनुमान लगाया जाना चाहिए कि उसने बीमा पॉलिसी जारी होने से पहले विवरणों को सत्यापित किया होगा।यदि बीमा कंपनी ने स्टॉक का सत्यापन नहीं करने का फैसला किया है तो वह अपनी लापरवाही का लाभ नहीं उठा सकती है।उबेरिमा फिडेस के सिद्धांत का कोई उपयोग नहीं है क्योंकि कोल्ड स्टोर ने सभी आवश्यक तथ्यों को घोषित कर दिया था।बैंक खंड ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि माल ए

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

503

केनरा बैंक बनाम मेसर्स यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और ओआरएस।

बैंक को अनुमानित/गिरवी रखा गया था।इसलिए बीमा कंपनी अब यह दावा नहीं कर सकती कि बीमा के समय उसे मालिकों के नाम नहीं दिए गए थे।बीमा पॉलिसी का कम से कम दो बार नवीनीकरण किया गया था।इसलिए, नीति **3** साल के लिए अस्तित्व में थी और यह **3** वें वर्ष में है जब आग लगी थी।**[**पारस **36,37] [519-**ई-एच**; 520-**ए-ई**]**

बी.

6. इसके अलावा, जब तक त्रिपक्षीय समझौते के पक्षकार यानी बैंक, किसान और कोल्ड स्टोर समझौते की शुद्धता पर विवाद नहीं कर रहे हैं, तब तक कोई कारण नहीं है कि न्यायालय को इसे एक वास्तविक दस्तावेज के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए।**[**पैरा **40] [521-**बी**]**

सी.

7. यदि बीमा कंपनी प्रस्ताव प्रपत्र स्वीकार करते समय बीमित व्यक्ति से किसी भी अस्पष्टता को स्पष्ट करने के लिए नहीं कहती है तो बीमा कंपनी प्रीमियम स्वीकार करने के बाद अब यह आग्रह नहीं कर सकती है कि बीमित व्यक्ति द्वारा गलत घोषणा की गई थी।एक अनुबंध को अमान्य करने के लिए गैर-प्रकटीकरण कुछ बहुत ही भौतिक तथ्य का होना चाहिए।इस मामले के विशिष्ट तथ्यों में, त्रिपक्षीय समझौते या मालिकों के नामों का खुलासा नहीं करना ऐसा भौतिक तथ्य नहीं कहा जा सकता है जिससे पॉलिसी अमान्य या अमान्य हो जाए।कोई धोखाधड़ी का दावा नहीं किया गया है।कोई झूठी घोषणा नहीं की जाती है और न ही किसी जानबूझकर किए गए कार्य या बीमित व्यक्ति की मिलीभगत से नुकसान होता है।बीमा पॉलिसी के तहत बीमा कंपनी माल के मूल्य के संबंध में कोल्ड स्टोर को क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी है और चूंकि किसान लाभार्थी हैं, इसलिए वे बैंक खंड के अधीन, पॉलिसी के तहत देय राशि प्राप्त करने के हकदार हैं।**[**पारस **43,44] [522-**सी-एफ**]8.** जब बैंक वर्तमान मामले की तरह माल के काल्पनिककरण के खिलाफ ऋण जारी करता है और इस बात पर जोर देता है कि माल का उसके बकाया की सुरक्षा के लिए बीमा किया जाना चाहिए तो बीमा कंपनी को पॉलिसी के बारे में सूचित करना बैंक का कर्तव्य है।मामला इस स्तर तक इसलिए खींचा गया है क्योंकि पॉलिसी में किसानों के नाम का उल्लेख नहीं किया गया था या त्रिपक्षीय समझौता बीमा कंपनी को नहीं सौंपा गया था।एक विवेकपूर्ण वित्तीय संस्थान के रूप में बैंक को इस बात पर जोर देना चाहिए था कि त्रिपक्षीय समझौता भी बीमा कंपनी को सौंप दिया जाना चाहिए।इसलिए, बैंक की ओर से कुछ कमी है।बैंक संविदात्मक दर पर ब्याज का दावा नहीं कर सकता।यह साधारण ब्याज वसूलने का हकदार होगा।

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

ए.

12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ऋण देने की तारीख से।**[**पारस **48** और **49] [523-**जी-एच**; 524-**ए-डी**]**

9. राष्ट्रीय आयोग के इस निर्णय की पुष्टि की जाती है कि गोदाम की प्राप्तियों में परिलक्षित माल के मूल्य को आग लगने की तारीख पर मूल्य माना जाना चाहिए।बैंक प्रत्येक किसान को उसके द्वारा दी गई मूल राशि की वसूली के साथ-साथ ऋण देने की तारीख से उसके पुनर्भुगतान तक **12** प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज वसूल करने का हकदार होगा।बीमा कंपनी आग लगने की तारीख से राशि के भुगतान तक **12** प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज के साथ प्रत्येक किसान की गोदाम प्राप्तियों में परिलक्षित माल के मूल्य का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।आग लगने की तारीख तक बैंक का बकाया पहले निर्धारित करना होगा और उसके बाद**,** अतिरिक्त राशि ब्याज के साथ किसान को देय होगी।आगे का निर्देश जारी किया गया।**[**पारस **54,55] [526-**बी**,** डी-ई**]**

बी.

सी.

यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनामहरचंद राय चंदन

डी.

लाल (2004) 8 एससीसी 644:[2004] 4 पूरक।एससीआर 662; रघुनाथ

राय बरेजा बनाम पंजाब नेशनल बैंक **(2007) 2** एस**.** सी**.** सी**. 230:[2006] 10** पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 287;** सूरज मल राम निवास ऑयल मिल्स **(**पी**)** लिमिटेड बनाम**.**यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड **(2010) 10** एससीसी

567 :[2010] 13 एस**.** सी**.** आर**. 138-**संदर्भित।

ई.

एम. सी. चाको बनाम स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, त्रिवेंद्रम

(1969) 2 एससीसी 343:[1970] 1 एससीआर 658; सतवंत कौर संधू

बनाम न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड **(2009) 8** एस**.** सी**.** सी**. 316:[2009]**

10 एस**.** सी**.** आर**. 560-**लागू नहीं होता है।संदर्भित निर्णय

एफ.

[2004] 4 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 662** पैरा **18 [2006] 10** सप्लीमेंट को संदर्भित करता है।एस**.** सी**.** आर**. 287** पैरा **19 [2010] 13** एस**.** सी**.** आर**. 138** पैरा **20 [1970] 1** एस**.** सी**.** आर**. 658** अप्रयोज्य पैरा **29 [2009] 10** एस**.** सी**.** आर**. 560** अप्रयोज्य पैरा **41** ए

जी.

एच.

505

केनरा बैंक बनाम मेसर्स यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और ओआरएस।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2020 की सिविल अपील संख्या 1042।

2017 की पहली अपील संख्या 2327 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली के दिनांक 08.06.2018 के निर्णय और आदेश से।

बी.

के साथ

2020 की सिविल अपील संख्या 1043-1051,1052-1059,1060-1071,1072-1081,1082-1090,1091-1097,1098-1106,1107-1117,1118-1126,1127-1133,1134-1203।

पी. पी मल्होत्रा, डॉ. (श्री) राजीव धवन, गोपाल शंकरनारायणन, साजन पूवय्या, ध्रुव मेहता, वरिष्ठ अधिवक्तागण , विनीत मल्होत्रा, विशाल गोहरी, सुश्री सुनैना फुल, यासिर रउफ, शुभेंदु कौशिक, मोहित पॉल, प्रतिभा सिंह खरोला, महेश चौधरी, सबरिश सुब्रमण्यम, वाई. विलियम विनोथ कुमार, विष्णु उन्नीकृष्णन (के. परी वेंधन के लिए), राजेश कुमार-I, अनंत गौतम, सुश्री साक्षी गौर, सोरभ दहिया, सुश्री खुशबू अग्रवाल, विभु शर्मा, अनमोल मेहता, दीपक आनंद, अधिवक्तागण उपस्थित दलों के लिए।

सी.

डी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

दीपाक गुप्ता**,** जे।

1. छुट्टी दे दी गई।

ई.

2. इन सभी अपीलों का निर्णय एक सामान्य निर्णय द्वारा किया जा रहा है क्योंकि ये राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली के दिनांकित एक सामान्य आदेश से उत्पन्न होती हैं, जिसे इसके बाद 'राष्ट्रीय आयोग' के रूप में संदर्भित किया जाता है।

एफ.

3. संक्षेप में मामले के तथ्य यह बताए गए हैं कि अधिकांश दावेदारों, जिन्हें इसके बाद 'किसान' कहा गया है, ने वर्ष 2012-2013 के दौरान ब्याड्गी मिर्च की फसल उगाई थी। कुछ किसानों के पास कुछ अन्य फसलें थीं।इन किसानों ने अपनी कृषि उपज को श्रीदेवी कोल्ड स्टोरेज के नाम और शैली के तहत एक साझेदारी फर्म द्वारा संचालित एक कोल्ड स्टोर में संग्रहीत किया था, जिसे इसके बाद 'कोल्ड स्टोर' कहा जाता है।इन किसानों ने केनरा बैंक से भी ऋण प्राप्त किया, जिसे इसके बाद 'बैंक' कहा जाता है।कोल्ड स्टोर में भंडारित कृषि उपज की प्रतिभूति पर बैंक द्वारा प्रत्येक किसान को ऋण दिया गया था।कोल्ड स्टोर का बीमा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ किया गया था, जिसे इसके बाद 'बीमा कंपनी' कहा जाता है।ठंड में लगी थी आग

जी.

एच.

ए.

बीच की रात को 13.01.2014 और 14.01.2014 स्टोर करें।कोल्ड स्टोर की पूरी इमारत और कृषि उपज का पूरा स्टॉक नष्ट हो गया था।

4. आग लगने के बाद, कोल्ड स्टोर, जिसने एक व्यापक बीमा पॉलिसी ली थी, ने बीमा कंपनी के साथ दावा किया, लेकिन कोल्ड स्टोर के दावे को बीमा कंपनी ने मुख्य रूप से इस आधार पर खारिज कर दिया कि आग आकस्मिक आग नहीं थी।किसानों ने संयंत्र, मशीनरी और भवन के संबंध में बीमा कंपनी को नोटिस भी जारी किया था, लेकिन बीमा कंपनी ने इस दावे को इस अतिरिक्त आधार पर खारिज कर दिया कि किसानों को दावा करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि बीमित व्यक्ति कोल्ड स्टोर था न कि किसान।यह भी दलील दी गई कि बीमा पॉलिसी की शर्त संख्या 8 का उल्लंघन किया गया है और किसानों और बीमा कंपनी के बीच अनुबंध की कोई गोपनीयता नहीं है।चूंकि किसानों के दावों को या तो खारिज कर दिया गया था या उनका जवाब नहीं दिया गया था, इसलिए उन्होंने कोल्ड स्टोर, बैंक और बीमा कंपनी के खिलाफ दावा याचिकाएं दायर कीं, जिसमें प्राथमिक राहत का दावा किया गया था कि आग लगने की तारीख तक कृषि उपज का मूल्य और उस पर ब्याज था और प्रत्येक किसान ने प्रति व्यक्ति रु.

1,00,000 के हर्जाने का भी दावा किया।91 दावा याचिकाएं दायर की गई थीं और उनमें से अधिकांश कृषि उपज बयाडगी मिर्च थी।कुछ याचिकाओं में, कृषि उपज डब्बी मिर्च, गुंटूर मिर्च, बंगाल चना, धनिया (धनिया), ज्वार आदि थे। हालाँकि, इन मामलों के निर्णय पर इसका कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ेगा।दावेदारों का नाम, उपज की प्रकृति, थैलों की संख्या और उनकी मात्रा, दर और किलोग्राम की संख्या वाला विवरण राष्ट्रीय आयोग के फैसले के पैरा 7 में निर्धारित किया गया है जिसे हम संक्षिप्तता के लिए पुनः प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं।5. दायर किए गए दावों में यह दलील दी गई थी कि कोल्ड स्टोर ने सामान्य शुल्क लगाते समय उसके द्वारा भुगतान किए गए बीमा प्रीमियम का भी भुगतान किया था।यह उल्लेख करना उचित होगा कि प्रत्येक किसान द्वारा बैंक से ऋण लेते समय और शीत भंडार में संग्रहीत कृषि उपज का अनुमान लगाते समय एक त्रिपक्षीय समझौता किया गया था।किसान, बैंक और कोल्ड स्टोर त्रिपक्षीय समझौते के पक्षकार थे।कोल्ड स्टोर ने एक गोदाम रसीद जारी की जिसमें संग्रहीत फसल, उसके मूल्य और त्रिपक्षीय समझौते की तारीख का विवरण दिया गया था।विचाराधीन अवधि के लिए यानी 2012-2013 से आग लगने तक, शीत भंडार का बीमा बीमा कंपनी के साथ किया गया था।ए का संयंत्र और मशीनरी

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

507

केनरा बैंक बनाम मेसर्स यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और ओआरएस। [दीपाक गुप्ता, जे.] ए.

कोल्ड स्टोर का बीमा 5 करोड़ रुपये में किया गया था और स्टॉक का बीमा Rs.30 करोड़ रुपये में किया गया था।

6. किसानों का मामला यह था कि त्रिपक्षीय समझौते के संदर्भ में, शीत भंडार ने बीमा कंपनी से स्टॉक का बीमा कराया था।आग एक आकस्मिक आग थी और इसलिए, पॉलिसी के संदर्भ में, बीमा कंपनी आग लगने की तारीख को शीत भंडार में संग्रहीत कृषि उपज के मूल्य की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थी और देय राशि पर ब्याज का भुगतान करने के लिए भी

उत्तरदायी थी।बीमा कंपनी ने मुख्य रूप से इस आधार पर शिकायत का विरोध किया कि 'किसान' उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अर्थ में 'उपभोक्ता' नहीं थे, जिसे इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया है।यह भी दावा किया गया कि किसानों और बीमा कंपनी के बीच अनुबंध की कोई गोपनीयता नहीं थी क्योंकि पॉलिसी कोल्ड स्टोर द्वारा ली गई थी न कि किसानों द्वारा।यह आरोप लगाया गया था कि ऋण की पूरी कहानी एक झूठी कहानी थी।गुण-दोष के आधार पर कोई भी विचारणीय आपत्ति ली जा सकती थी।बीमा कंपनी ने इस बात से इनकार किया कि दावेदार किसान थे या उन्होंने कृषि उपज का उत्पादन किया था या उन्होंने इसे शीत भंडार में संग्रहीत किया था।यह भी आरोप लगाया गया कि बैंक ने लापरवाही की क्योंकि उसने दो साल से अधिक समय से बकाया राशि की वसूली के लिए कोई कदम नहीं उठाया।बीमा कंपनी का मामला यह है कि उसके सही दिमाग में कोई भी कृषि उपज को इतने लंबे समय तक संग्रहीत नहीं करेगा।इसलिए, त्रिपक्षीय समझौते की वास्तविकता को चुनौती दी गई थी।दूसरा मुख्य आधार यह था कि आग कोई दुर्घटना नहीं थी और बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण कोई स्वतःस्फूर्त दहन नहीं हुआ था।बीमा कंपनी के अनुसार, आगजनी का एक तत्व शामिल था और ऐसा लगता है कि कोल्ड स्टोर में जानबूझकर आग लगा दी गई थी।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

7. कोल्ड स्टोर का रुख था कि आग दुर्घटनावश लगी थी और चूंकि स्टॉक का बीमा किया गया था, इसलिए राशि बीमा कंपनी द्वारा देय थी।बैंक ने किसानों के दावे का इस चेतावनी के साथ समर्थन किया कि उसे राशि का भुगतान किया जाना चाहिए ताकि वह किसानों को दिए गए ऋण के बदले में इसे चुका सके।

जी.

8. बैंगलोर में कर्नाटक राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, जिसे इसके बाद 'राज्य आयोग' के रूप में संदर्भित किया गया है, ने दिनांक 1 के फैसले में कहा कि किसानों ने साबित कर दिया था कि आग बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी और मानव हस्तक्षेप या मिट्टी के तेल के उपयोग का कोई तत्व नहीं पाया गया था।राज्य आयोग ने यह भी पाया कि त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार

एच.

किसानों, बैंक और शीत भंडार के बीच, शीत भंडार के लिए यह अनिवार्य था कि किसानों द्वारा बैंक के साथ इस तरह से अनुमानित माल का बीमा किया जाए।बीमा कंपनी को किसानों को राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था।राज्य आयोग ने ऋण लेने के समय जारी गोदाम प्राप्तियों में परिलक्षित मूल्य को लेकर माल के मूल्य का आकलन किया और किसानों की इस दलील को स्वीकार नहीं किया कि उन्हें आग लगने की तारीख के अनुसार माल का बाजार मूल्य मिलना चाहिए।बैंक की सेवा में भी कमी पाई गई।कोल्ड स्टोर और बीमा कंपनी को संयुक्त रूप से और गंभीर रूप से उत्तरदायी ठहराया गया था और उन्हें निर्देश दिया गया था कि वे किसानों/दावेदारों को त्रिपक्षीय समझौते की तारीख के अनुसार बैंक के साथ अनुमानित कृषि उपज के मूल्य का भुगतान करें, साथ ही घटना की तारीख से छह महीने से वसूली की तारीख तक देय 14 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करें।2015 की एक शिकायत No.597 को खारिज कर दिया गया था।कुछ शिकायतों में, बैंक को संयुक्त रूप से और गंभीर रूप से Rs.10,000/- की लागत का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था, जबकि बड़ी संख्या में मामलों में बैंक के खिलाफ शिकायत को खारिज कर दिया गया था।

बी.

सी.

डी.

9. राज्य आयोग के दिनांक 1 के उपरोक्त निर्णय से व्यथित होकर, राष्ट्रीय आयोग के समक्ष एक अपील दायर की गई थी।विवादित निर्णय द्वारा, राष्ट्रीय आयोग ने राज्य आयोग के निष्कर्षों से सहमति व्यक्त की और कहा कि किसान उपभोक्ता हैं।इसने अभिनिर्धारित किया कि बीमा कंपनी इस तथ्य से अवगत थी कि माल ट्रस्ट में रखा गया था।इसने आगे कहा कि यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि आग आकस्मिक आग नहीं थी या आग कोल्ड स्टोर के मालिक द्वारा शुरू की गई थी।हालांकि, इसने आंशिक रूप से बीमा कंपनी की अपील की अनुमति दी और ब्याज को 14 प्रतिशत प्रति वर्ष से घटाकर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष कर दिया।किसानों ने यह दावा करते हुए अपील भी दायर की थी कि बीमा पॉलिसी के संदर्भ में उन्हें आग लगने की तारीख तक माल का मूल्य दिया जाना चाहिए था।हालांकि, इस दावे को मूल रूप से इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि किसान यह दिखाने में विफल रहे थे कि संग्रहीत मिर्च और/या अन्य उपज एक ही वर्ग और विशेषताओं की है जो विभिन्न वस्तुओं के लिए बेंगलुरु बाजार की विविधता-वार आवधिक रिपोर्ट में परिलक्षित होती है।जहां तक बैंक द्वारा दायर अपीलों का संबंध है, राष्ट्रीय आयोग ने कहा कि मामले के विशिष्ट तथ्यों में जहां किसानों को पर्याप्त नुकसान हुआ है, बैंक द्वारा दिए गए ऋण की मूल राशि बीमा कंपनी द्वारा बैंक को प्रेषित की जाएगी, लेकिन अन्य राशि यानी ब्याज और हर्जाने किसानों को दिए जाएंगे।यह भी माना गया कि कोई ए नहीं था

ई.

एफ.

जी.

एच.

509

केनरा बैंक बनाम मेसर्स यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और ओआरएस। [दीपाक गुप्ता, जे.] ए.

बैंक की ओर से सेवा की कमी और कुछ मामलों में बैंक पर लगाए गए खर्च को अपास्त करना दिया गया।

10. इस न्यायालय के समक्ष बीमा कंपनी, किसानों, कोल्ड स्टोर और बैंक द्वारा अपील दायर की गई है।

11. हमने बीमा कंपनी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री पी. पी. मल्होत्रा, किसानों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील डॉ. राजीव धवन और श्री गोपाल शंकरनारायणन, कोल्ड स्टोर की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री साजन पूवय्या और बैंक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री ध्रुव मेहता को विद्वान है।

बी.

बीमा कंपनी की अपीलें

सी.

12. बीमा कंपनी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री पी. पी. मल्होत्रा ने इस न्यायालय विद्वान विचार के लिए कई मुद्दे उठाए।उनके द्वारा उठाए गए तर्कों में से एक यह है कि विचाराधीन आग आकस्मिक आग नहीं थी।यह भी तर्क दिया जाता है कि किसान उपभोक्ता नहीं थे और इसलिए उपभोक्ता मंचों के पास विवाद का फैसला करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।इसके बाद वह तर्क देते हैं कि किसानों और बीमा कंपनी के बीच अनुबंध की कोई गोपनीयता नहीं है।उनके अनुसार, अनुबंध के पक्षों के बीच बीमा अनुबंध का सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिए।वे प्रस्तुत करते हैं कि किसानों का कोई बीमायोग्य हित नहीं था और बैंक, किसानों और शीत भंडार के बीच हुए त्रिपक्षीय समझौते का बीमा कंपनी को कभी खुलासा नहीं किया गया था।वह आगे प्रस्तुत करता है कि कोल्ड स्टोर (बीमित) द्वारा महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा नहीं किया गया है और इस तरह, बीमा कंपनी उत्तरदायी नहीं है।उन्होंने यह भी आग्रह किया कि बीमा कंपनी की देयता को सामान्य बहिष्करण खंड 5 और सामान्य शर्त संख्या 5 के आधार पर बाहर रखा जाए।1 और सामान्य शर्त सं।8 बीमा पॉलिसी।

डी.

ई.

एफ.

क्या आग एक दुर्घटना थी**?**

13. जहां तक इस मुद्दे का संबंध है, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग दोनों इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आग दुर्घटनावश लगी थी और शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी।ये तथ्य के शुद्ध निष्कर्ष हैं जिन्हें, हमारे विचार में, इन कार्यवाहियों में चुनौती नहीं दी जा सकती है।हालाँकि, चूंकि इस संबंध में श्री पी. पी. मल्होत्रा द्वारा लंबी दलीलें दी गई थीं, इसलिए हम इस पर विचार करेंगे।शुरुआत में, हम ध्यान दे सकते हैं कि विद्युत निरीक्षक, पुलिस जांच दल और फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) सभी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी।एफ. एस. एल. की रिपोर्ट का समापन भाग इस प्रकार हैः-

जी.

एच.

“उपरोक्त परीक्षण से निम्नलिखित अवलोकन किए गए हैं -

1. थर्मोकोल (जिसका उपयोग दीवारों को इन्सुलेट करने के लिए किया जाता है) स्तंभों, लकड़ी के विभाजन और इमारत के अंदर संग्रहीत अनाज जैसी ज्वलनशील सामग्रियों की उपस्थिति आग के प्रसार को बढ़ा सकती थी।2. इमारत में भीड़भाड़ वाली जगह ने आग को तेज कर दिया होगा।

बी.

3. आग इमारत की छठी मंजिल के सामने की ओर लगी होगी।लेकिन आग लगने की सही जगह का पता लगाना संभव नहीं था क्योंकि पूरी इमारत में आग लग गई थी।

सी.

4. बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लग सकती है।”

बीमा कंपनी ट्रुथ लैब्स और रैंक सर्वेयर्स प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी द्वारा दिए गए निष्कर्षों पर निर्भर करती है, जो इस प्रकार हैंः-

डी.

“घटना स्थल के गहन और गहन निरीक्षण, फोरेंसिक जांच, क्षेत्र की जांच, दस्तावेजी साक्ष्य विश्लेषण और प्राप्त व्यक्तिगत साक्ष्य के आधार पर, यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि आग मैसर्स श्री देवी कोल्ड स्टोरेज, बिलारी में जनवरी 2014 की दरम्यानी रात को लगी थी।

ए। यह जीवाणु/रासायनिक आग के कारण स्वतःस्फूर्त दहन के कारण नहीं था।

ई.

बी। यह शॉर्ट सर्किट के कारण बिजली की विफलता के कारण नहीं था।ग. और मानव हस्तक्षेप के माध्यम से शीत भंडारण में भंडार के प्रज्वलन, दीक्षा, प्रसार और जलाने के लिए जानबूझकर उपयोग किए जाने वाले मिट्टी के तेल जैसे बाह्य ज्वलनशील अग्नि त्वरक के कारण था।

एफ.

घ. इस तरह के दुर्भावनापूर्ण कृत्यों को करने के उद्देश्य, साधन और अवसर के आधार पर इस तरह के नापाक कृत्य में प्रबंधन की संलिप्तता की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।”

जी.

14. हम ध्यान दे सकते हैं कि यह विवादित नहीं है कि शीत भंडार के निर्माण में, शीत भंडार की दीवारों को इन्सुलेट करके तापमान बनाए रखा गया था।इन्सुलेशन प्रदान करने के लिए बिटुमेन (कोल टार) और थर्मोकोल का उपयोग किया जाता था।एफएसएल ने पाया कि एक इमारत में होने वाली आग में जहां निर्माण के लिए ऐसी सामग्री का उपयोग किया जाता है, हाइड्रो कार्बन ए होगा

एच.

511

केनरा बैंक बनाम मेसर्स यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और ओआरएस। [दीपाक गुप्ता, जे.] ए.

जाहिर है उपस्थित रहें।दूसरी ओर, एम/एस. ट्रुथ लैब्स ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए मुख्य रूप से हाइड्रो कार्बन की उपस्थिति पर भरोसा किया कि आग अनायास और विद्युत शॉर्ट सर्किट के कारण नहीं लगी थी, बल्कि मिट्टी के तेल जैसे बाहरी ज्वलनशील अग्नि त्वरकों के कारण लगी थी।मेसर्स ट्रुथ लैब्स के निष्कर्ष डॉ. आर. श्रीनिवास के नेतृत्व में एक दल द्वारा किए गए कुछ निरीक्षण और रासायनिक विश्लेषण पर आधारित थे।मान लीजिए, डॉ. आर. श्रीनिवास की यह रिपोर्ट कभी भी पक्षों को प्रस्तुत नहीं की गई थी और न ही राज्य आयोग के समक्ष रखी गई थी। दिलचस्प बात यह है कि जब मेसर्स ट्रुथ लैब्स के निदेशक श्री जी. वी. एच. वी. प्रसाद से एक

विशिष्ट प्रश्न पूछा गया कि क्या भूतल और ऊपरी तल की दीवारों और शीत भंडार के अंदर के हिस्से के साथ-साथ 169 स्तंभों का निर्माण इन्सुलेशन के स्तर को बढ़ाने के लिए कंक्रीट के बीच बिटुमेन और थर्मोकोल को सैंडविच करके किया गया था, तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि शीत भंडारण कैसे बनाया गया था।यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि मेसर्स ट्रुथ लैब्स ने किस घटिया तरीके से जांच की।अगर जांच एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश भी नहीं करती है कि आग में नष्ट हुई इमारत के निर्माण की प्रकृति क्या है, तो आग की उचित जांच नहीं हो सकती है।मेसर्स ट्रुथ लैब्स ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह अवलोकन कि आग बाहरी ज्वलनशील आग त्वरक के कारण लगी थी, रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट पर आधारित है जो मलबे में हाइड्रो कार्बन की उपस्थिति को दर्शाता है।यह स्पष्ट है कि मेसर्स ट्रुथ लैब्स ने निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री का विश्लेषण नहीं किया क्योंकि अगर उसने ऐसा किया होता, तो उसे एहसास होता कि थर्मोकोल या बिटुमेन को जलाने पर हाइड्रो कार्बन मौजूद होते।थर्मोकोल मूल रूप से एक कठोर प्लास्टिक फोम सामग्री है जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस उप-उत्पादों से प्राप्त होती है।बिटुमेन कच्चे तेल से उत्पादित एक अर्ध-ठोस हाइड्रोकार्बन उत्पाद है।थर्मोकोल और बिटुमेन दोनों पेट्रोलियम उत्पादों के व्युत्पन्न हैं और इसलिए वे अपनी प्रकृति से हाइड्रोकार्बन हैं।इसलिए, आग लगने पर हाइड्रोकार्बन की उपस्थिति स्वाभाविक होगी।हाइड्रो कार्बन की उपस्थिति से यह निष्कर्ष नहीं निकल सका कि मिट्टी के तेल का उपयोग आग बुझाने के लिए किया गया था।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

15. राष्ट्रीय आयोग ने भी इस मुद्दे पर विस्तार से विचार किया है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि मैसर्स ट्रुथ लैब्स ने दो मौकों पर जले हुए कोल्ड स्टोर का दौरा किया और दोनों मौकों पर नमूने एकत्र किए।हालाँकि, इसने केवल दूसरी यात्रा में एकत्र किए गए 12 नमूनों को विश्लेषण के लिए भेजने का निर्णय लिया।दिलचस्प बात यह है कि नियंत्रित नमूने एक प्लास्टिक बैग से एकत्र किए गए थे जिसमें (ताजा अप्रभावित) मिर्च थी जो प्रभावित परिसर के जले हुए स्टॉक में पाई गई थी।नियंत्रित नमूनों ने किया

जी.

एच.

हाइड्रो कार्बन की उपस्थिति नहीं दिखाती है और इसलिए, यह धारणा कि शेष नमूनों में हाइड्रो कार्बन की उपस्थिति थर्मोकोल और टार से संबंधित नहीं थी।पहली यात्रा पर लिए गए नमूनों को विश्लेषण के लिए क्यों नहीं भेजा गया, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है।यह विश्वास करना भी मुश्किल है कि एक इमारत में जो पूरी तरह से आग में जल गई है, जले हुए स्टॉक में एक प्लास्टिक बैग होगा जिसमें (ताजा अप्रभावित) मिर्च होगी।यह संभव है कि इन बिना जली हुई मिर्चों को बाद में पेश किया गया हो।इसलिए, हम मैसर्स ट्रुथ लैब्स की रिपोर्ट पर कोई भरोसा नहीं कर सकते।

बी.

16. किसी भी स्थिति में, न तो मेसर्स ट्रुथ लैब्स की रिपोर्ट में और न ही बीमा कंपनी की अन्य रिपोर्टों में यह दिखाने के लिए कुछ है कि बीमित व्यक्ति ने कोल्ड स्टोर में आग लगा दी थी।चाहे आग शॉर्ट सर्किट से लगी हो या किसी अन्य कारण से, जब तक बीमित व्यक्ति आग लगाने वाला व्यक्ति नहीं है, बीमा कंपनी बीमा पॉलिसी के संदर्भ में अपने दायित्व से बच नहीं सकती है।हम बीमा कंपनी के इस तर्क को खारिज करते हैं कि मिट्टी के तेल के उपयोग से आग लगी थी और इसलिए यह उत्तरदायी नहीं है।

सी.

डी.

सख्त व्याख्या का नियम

17. बीमा कंपनी की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि बीमा पॉलिसी की शर्तों को सख्ती से समझा जाना चाहिए और चूंकि केवल बीमा कंपनी और कोल्ड स्टोर (बीमित) बीमा के अनुबंध के पक्षकार थे, इसलिए बीमा कंपनी किसानों को किसी भी दावे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।दोनों पक्षों द्वारा विभिन्न अधिकारियों का हवाला दिया गया था।

ई.

18. यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनामहरचंद राय

चंदन लाल 1 इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दियाः- “ 9 ....यह तय कानून है कि नीति की शर्तें पक्षों के बीच अनुबंध को नियंत्रित करेंगी, उन्हें उसमें दी गई परिभाषा का पालन करना होगा और नीति में दिखाई देने वाली उन सभी अभिव्यक्तियों की व्याख्या नीति की शर्तों के संदर्भ में की जानी चाहिए न कि अन्य कानूनों में दी गई परिभाषा के संदर्भ में।यह अनुबंध का विषय है और अनुबंध के संदर्भ में पक्षों के संबंध पालन करेंगे और यह माना जाता है कि जब पक्षों ने अपनी आंखें खुली रखते हुए बीमा का अनुबंध किया है, तो वे अन्य अधिनियम में दी गई परिभाषा पर भरोसा नहीं कर सकते हैं।”

एफ.

जी.

1 (2004) 8 एससीसी 644 ए

एच.

513

केनरा बैंक बनाम मेसर्स यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और ओआरएस। [दीपाक गुप्ता, जे.] ए.

19. रिलायंस को रघुनाथ राय बरेजा बनाम पंजाब नेशनल बैंक 2 पर रखा गया था जिसमें यह आयोजित किया गया थाः

“58. हम यहां उल्लेख कर सकते हैं कि व्याख्या के शाब्दिक नियम का पालन न केवल न्यायाधीशों और वकीलों द्वारा किया जाता है, बल्कि आम आदमी भी अपने सामान्य जीवन में इसका पालन करता है।एक दृष्टान्त देने के लिए, यदि कोई व्यक्ति कहता है कि "यह एक पेंसिल है", तो उसका मतलब है कि यह एक पेंसिल है; और ऐसा नहीं है कि जब वह कहता है कि वस्तु एक पेंसिल है, तो उसका मतलब है कि यह एक घोड़ा, गधा या हाथी है।दूसरे शब्दों में, व्याख्या के शाब्दिक नियम का सीधा सा अर्थ है कि हमारा मतलब वही है जो हम कहते हैं और हम वही कहते हैं जो हमारा मतलब है।अगर हम व्याख्या के शाब्दिक नियम का पालन नहीं करेंगे, तो सामाजिक जीवन असंभव हो जाएगा, और हम एक-दूसरे को नहीं समझेंगे।अगर हम कहते हैं कि एक निश्चित वस्तु एक पुस्तक है, तो हमारा मतलब है कि यह एक पुस्तक है।अगर हम कहें कि यह एक किताब है, लेकिन हमारा मतलब है कि यह एक घोड़ा, मेज या हाथी है, तो हम एक-दूसरे के साथ संवाद नहीं कर पाएंगे।जीवन असंभव हो जाएगा।इसलिए, व्याख्या के शाब्दिक नियम का अर्थ केवल यह है कि हमारा मतलब वही है जो हम कहते हैं और हम वही कहते हैं जो हमारा मतलब है।”

बी.

सी.

डी.

20. सूरज में भी रिलायंस को निम्नलिखित अनुच्छेद पर रखा गया था।

माल राम निवास ऑयल मिल्स **(**पी**)** लिमिटेड बनामयूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड **3:**

“26. इस प्रकार, इस बात पर बहुत कम बल देने की आवश्यकता है कि बीमा अनुबंध की शर्तों को समझने में, उसमें उपयोग किए गए शब्दों को सर्वोपरि महत्व दिया जाना चाहिए, और यह

न्यायालय के लिए किसी भी शब्द को जोड़ने, हटाने या प्रतिस्थापित करने के लिए खुला नहीं है।यह भी अच्छी तरह से तय किया गया है कि चूंकि बीमा पॉलिसी जारी करने पर, बीमाकर्ता पॉलिसी द्वारा कवर किए गए जोखिमों के कारण बीमित व्यक्ति को हुए नुकसान की भरपाई करने का वचन देता है, इसलिए बीमाकर्ता के दायित्व की सीमा निर्धारित करने के लिए इसकी शर्तों का सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिए।इसलिए, न्यायालय का प्रयास हमेशा उन शब्दों की व्याख्या करना होना चाहिए जिनमें पक्षकारों द्वारा अनुबंध व्यक्त किया जाता है।"

ई.

एफ.

21. बीमा पॉलिसियों की व्याख्या से संबंधित सिद्धांत अच्छी तरह से तय किए गए हैं और विवाद में नहीं हैं।साथ ही, पॉलिसी के प्रावधानों को इस तरह से पढ़ा और व्याख्या की जानी चाहिए ताकि बीमित और लाभार्थियों सहित सभी पक्षों की उचित अपेक्षाओं को प्रभावी बनाया जा सके।यह भी अच्छी तरह से तय किया गया है कि कवरेज प्रावधान

जी.

2 (2007) 2 एससीसी 230 3 (2010) 10 एससीसी 567

एच.

इसकी व्यापक रूप से व्याख्या की जानी चाहिए और यदि कोई अस्पष्टता है, तो इसका समाधान बीमित व्यक्ति के पक्ष में किया जाना चाहिए।दूसरी ओर, अपवर्जन खंडों को संक्षिप्त रूप से पढ़ा जाना चाहिए।नीति और उसके घटकों को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए और एक ऐसा अर्थ दिया जाना चाहिए जो पक्षों की अपेक्षाओं और व्यावसायिक वास्तविकताओं को भी आगे बढ़ाता है।हमारे अनुसार, पूरी नीति को इस तरह से समझा और जांचा जाना चाहिए और जब ऐसा किया जाता है, तो व्याख्या एक व्यावसायिक रूप से समझदार व्याख्या बन जाती है।जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है, अगर हम पॉलिसी की शर्तों के साथ त्रिपक्षीय समझौते को पढ़ते हैं तो यह स्पष्ट है कि बैंक ने स्टॉक का बीमा कराने पर जोर दिया था।किसानों को बताया गया कि वे प्रीमियम का भुगतान करेंगे।कोल्ड स्टोर ने किराया तय करते समय स्पष्ट रूप से किराए में प्रीमियम को शामिल किया।यह स्पष्ट था कि पक्षों का इरादा यह था कि किसी भी अप्रिय नुकसान की स्थिति में उन्हें बीमा कंपनी द्वारा मुआवजा दिया जाएगा।

बी.

सी.

क्या किसान उपभोक्ता हैं और अनुबंध की गोपनीयता का मुद्दा

डी.

22. बीमा कंपनी की ओर से राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग दोनों के फैसलों पर हमले का एक मुख्य आधार यह है कि जहां तक बीमा कंपनी का संबंध है, किसान उपभोक्ता नहीं है।विवाद इस आधार पर आधारित है कि बीमा पॉलिसी केवल बीमा कंपनी और कोल्ड स्टोर के बीच है। श्री मल्होत्रा ने आगे यह आग्रह किया कि भवन, संयंत्रों और मशीनरी को नुकसान के लिए कोल्ड स्टोर के दावे को बीमा कंपनी ने 16.09.2015 पर खारिज कर दिया था।कोल्ड स्टोर ने अस्वीकृति को चुनौती नहीं दी है।इसके बाद, सभी शिकायतें एक वकील के माध्यम से दायर की गई हैं जो इंगित करती हैं कि उन्हें शीत भंडार द्वारा ही सुनियोजित किया गया है।यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि जहां तक बीमा कंपनी का संबंध है, त्रिपक्षीय समझौता प्रासंगिक नहीं है क्योंकि बीमा कंपनी त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षरकर्ता नहीं है।यह आगे तर्क दिया जाता है कि माल के लिए कवरेज केवल कोल्ड स्टोर के स्वामित्व वाले सामानों के लिए था न कि किसानों के लिए जो तीसरे पक्ष की प्रकृति में हैं।यह तर्क दिया जाता है कि कुछ मामलों में त्रिपक्षीय समझौते पर बैंक द्वारा हस्ताक्षर भी नहीं किए गए हैं।

ई.

एफ.

जी.

23. दूसरी ओर, किसानों की ओर से, यह प्रस्तुत किया जाता है कि उन्होंने शीत भंडार को किराया दिया जिसमें बीमा का तत्व शामिल था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि फसलें एक मूल्यवान विचार के लिए कोल्ड स्टोर को संविदात्मक जमानत पर दी गई थीं और इसलिए, कोल्ड स्टोर ने किसानों की ओर से सामान को बेली के रूप में रखा।यह भी ए है

एच.

प्रस्तुत किया कि त्रिपक्षीय समझौते के संदर्भ में, शीत भंडार एक बीमा पॉलिसी लेने के लिए बाध्य था और फसलों और परिसर का अलग से बीमा किया गया था और बीमा को हर बार 3 साल की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया था।यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि बीमा कंपनी को पता था कि बीमा पॉलिसी वास्तविक मालिकों यानी किसानों के लाभ के लिए ली गई थी।

बी.

24. इन मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए, अधिनियम की धारा 2 (डी) के तहत 'उपभोक्ता' की परिभाषा का उल्लेख करना उचित होगा, जो इस प्रकार हैः-

“ 2 परिभाषाएँ।- (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो, -

सी.

XXX

XXX

XXX

(घ) "उपभोक्ता" से कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है जो -

(i) भुगतान किए गए या वादा किए गए या आंशिक रूप से भुगतान किए गए और आंशिक रूप से वादा किए गए प्रतिफल के लिए या विलंबित भुगतान की किसी भी प्रणाली के तहत कोई भी वस्तु खरीदता है और इसमें उस व्यक्ति के अलावा ऐसी वस्तु का कोई भी उपयोगकर्ता शामिल है जो भुगतान किए गए या वादा किए गए या आंशिक रूप से भुगतान किए गए या आंशिक रूप से वादा किए गए प्रतिफल के लिए ऐसी वस्तु खरीदता है, या विलंबित भुगतान की किसी भी प्रणाली के तहत, जब ऐसा उपयोग ऐसे व्यक्ति की मंजूरी से किया जाता है, लेकिन इसमें ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं है जो पुनर्विक्रय के लिए या किसी वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए ऐसी वस्तु प्राप्त करता है; या

डी.

ई.

((ख) भुगतान किए गए या वादा किए गए या आंशिक रूप से भुगतान किए गए और आंशिक रूप से वादा किए गए प्रतिफल के लिए या विलंबित भुगतान की किसी भी प्रणाली के तहत किसी भी सेवा को नियुक्त करता है या उसका लाभ उठाता है और इसमें उस व्यक्ति के अलावा ऐसी सेवाओं का कोई भी लाभार्थी शामिल है जो भुगतान किए गए या वादा किए गए, या आंशिक रूप से भुगतान किए गए और आंशिक रूप से वादा किए गए, या विलंबित भुगतान की किसी भी प्रणाली के तहत सेवाओं को नियुक्त करता है या उसका लाभ उठाता है, जब ऐसी सेवाओं का लाभ पहले उल्लिखित व्यक्ति की मंजूरी से लिया जाता है।

एफ.

25. अधिनियम के तहत उपभोक्ता की परिभाषा बहुत व्यापक है और इसमें न केवल वह व्यक्ति शामिल है जो विचार के लिए सेवाओं को नियुक्त करता है या उनका लाभ उठाता है, बल्कि ऐसी सेवाओं का लाभार्थी भी शामिल है जो उस व्यक्ति के अलावा कोई अन्य व्यक्ति हो सकता है जो सेवाओं को नियुक्त करता है या उनका लाभ उठाता है।26. अनुबंध की गोपनीयता के मुद्दे को

लेते हुए, हमारा विचार है कि जहां तक अधिनियम का संबंध है, यह आवश्यक नहीं है कि बीमा कंपनी और बीमा कंपनी के बीच अनुबंध की गोपनीयता होनी चाहिए।

जी.

एच.

दावेदार।ऊपर उद्धृत धारा 2 (डी) के तहत उपभोक्ता की परिभाषा 2 भागों में है।धारा 2 (1) (डी) का उपखंड (आई) एक ऐसे व्यक्ति से संबंधित है जो कोई भी सामान खरीदता है और इसमें उस व्यक्ति के अलावा ऐसे सामान का कोई भी उपयोगकर्ता शामिल है जो ऐसी वस्तु खरीदता है जब तक कि उपयोग ऐसे व्यक्ति की मंजूरी से किया जाता है।इसलिए, पहले भाग में भी उपभोक्ता की परिभाषा में न केवल वह व्यक्ति शामिल है जिसने सामान खरीदा है, बल्कि उसमें सामान का कोई भी उपयोगकर्ता शामिल है, जब तक कि ऐसा उपयोगकर्ता उस व्यक्ति की मंजूरी से किया जाता है जिसने सामान खरीदा है।जहाँ तक सेवाओं को काम पर रखने या उनका लाभ उठाने के संबंध में उपभोक्ता की परिभाषा का संबंध है, हमारे विचार में यह परिभाषा बहुत व्यापक है।खंड के इस भाग में, उपभोक्ता में न केवल वह व्यक्ति शामिल है जिसने सेवाओं को काम पर रखा है या उनका लाभ उठाया है, बल्कि ऐसी सेवाओं का कोई भी लाभार्थी भी शामिल है।इसलिए, एक बीमित व्यक्ति वह व्यक्ति हो सकता है जो बीमा कंपनी की सेवाओं को नियुक्त करता है या उनका लाभ उठाता है, लेकिन कई अन्य व्यक्ति भी हो सकते हैं जो सेवाओं के लाभार्थी हो सकते हैं।यह आवश्यक नहीं है कि वे लाभार्थी बीमा अनुबंध के पक्षकार हों।वे उपभोक्ता इसलिए नहीं हैं कि वे बीमा अनुबंध के पक्षकार हैं, बल्कि इसलिए हैं कि वे बीमित व्यक्ति द्वारा ली गई पॉलिसी के लाभार्थी हैं।27. अधिनियम के तहत उपभोक्ता की परिभाषा बहुत व्यापक है और इसमें ऐसे लाभार्थी शामिल हैं जो बीमित व्यक्ति द्वारा लिए गए बीमा का लाभ उठा सकते हैं।जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है, बैंक, कोल्ड स्टोर और किसानों के बीच हुए त्रिपक्षीय समझौते के तहत किसानों के स्टॉक को बैंक के साथ प्रतिभूति के रूप में माना गया था और बैंक ने जोर देकर कहा था कि उक्त स्टॉक का बीमा किया जाना चाहिए ताकि उसके ब्याज की रक्षा की जा सके।हम त्रिपक्षीय समझौते के अंतिम खंड का उल्लेख कर सकते हैं जो इस प्रकार हैः-

बी.

सी.

डी.

ई.

"जबकि तीसरा पक्ष जोखिम को पूरा करने के लिए किसी भी तरह से किसी भी दुर्घटना या दुर्घटना की स्थिति में उपज की क्षतिपूर्ति करने के लिए कोल्ड स्टोरेज में संग्रहीत उपज/सामान का बीमा करने के लिए सहमत हो गया है और ऋण राशि को कवर करने के लिए भी सहमत हो गया है ताकि दूसरे पक्ष की कीमत पर नुकसान से बचा जा सके।"

एफ.

जी.

28. उपरोक्त खंड स्पष्ट शब्दों में कोल्ड स्टोर को माल का बीमा करने, उपज की क्षतिपूर्ति करने, जोखिम को पूरा करने और ऋण राशि को कवर करने के लिए बाध्य करता है।यह बीमा पॉलिसी दूसरे पक्ष यानी किसान की कीमत पर लेनी होती है।इसलिए इस बात में कोई संदेह नहीं हो सकता कि किसान इस नीति के तहत लाभार्थी है।इसलिए, किसान निश्चित रूप से एक उपभोक्ता है और हम दोनों आयोगों के आदेशों को बरकरार रखते हैं कि अधिनियम के तहत शिकायत बनाए रखने योग्य है।

एच.

517

केनरा बैंक बनाम मेसर्स यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और ओआरएस। [दीपाक गुप्ता, जे.] ए.

ए.

29. श्री मल्होत्रा ने अपने तर्क के समर्थन में एम. सी. चाको बनाम स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, त्रिवेंद्रम 4 में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें हाई लैंड बैंक, कोट्टायम के प्रबंधक के रूप में अपीलार्थी का बैंक में एक ओवरड्राफ्ट खाता था।अपीलार्थी के पिता ने बैंक के पक्ष में गारंटी पत्रों को निष्पादित किया था जो Rs.20,000/- की सीमा के अधीन ओवरड्राफ्ट समझौते के तहत बैंक को देय राशि का भुगतान करने के लिए सहमत थे।न्यायालय ने कहाः-

बी.

"10. भले ही यह माना जाए कि शुल्क लगाने का इरादा था, कोट्टायम बैंक विलेख का एक पक्ष नहीं होने के नाते शुल्क को केवल तभी लागू कर सकता है जब वह अनुबंध की शर्तों के तहत एक लाभार्थी था, और यह दावा नहीं किया जाता है कि बैंक विलेख अतिरिक्त के तहत एक लाभार्थी था। डी-1.इसलिए एम. सी. चाको के खिलाफ मुकदमा खारिज किया जाना चाहिए।"

सी.

30. हमारा विचार है कि इस फैसले की हमारे सामने के मामले से कोई प्रासंगिकता नहीं है।इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि कोट्टायम बैंक न केवल विलेख का पक्षकार था, बल्कि अनुबंध के तहत लाभार्थी भी नहीं था।हमारी राय में, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि बीमित व्यक्ति के अलावा सेवाओं का लाभार्थी अधिनियम के तहत उपभोक्ता है।

डी.

सामान्य बहिष्करण खंड सं**. 5**

31. यह आग्रह किया गया है कि सामान्य बहिष्करण शीर्षक के तहत नीति के खंड 5 का उल्लंघन किया गया है जिसमें कुछ प्रकार के नुकसान को शामिल नहीं किया गया है।उक्त खंड इस प्रकार हैः-

ई.

"5. जब तक नीति में स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया हो, तब तक सोने या कीमती पत्थरों को नुकसान, विनाश या क्षति, ट्रस्ट में या कमीशन, पांडुलिपियों, योजनाओं, चित्रों, प्रतिभूतियों, दायित्वों या किसी भी (अवैध) डाक टिकटों के दस्तावेजों, सिक्कों या कागजी धन, चेक, खातों की पुस्तकों या अन्य व्यावसायिक पुस्तकों, कंप्यूटर सिस्टम रिकॉर्ड, विस्फोटकों पर रखी गई किसी भी राशि से अधिक की कोई जिज्ञासा या कलाकृतियाँ।"

एफ.

32. श्री मल्होत्रा द्वारा उठाया गया तर्क यह है कि चूंकि सामान कोल्ड स्टोर द्वारा ट्रस्ट में रखा गया था, इसलिए बीमा कंपनी उत्तरदायी नहीं है।हम इस तर्क से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हैं। यह ऐसा मामला नहीं है जहां माल केवल विश्वास के आधार पर जमा किया गया था।किसान द्वारा किराए के भुगतान पर सामान को शीत भंडार में रखा जाता था।यह एक नहीं है

जी.

4 (1969) 2 एससीसी 343

एच.

ऊपर उद्धृत अपवर्जन खंड 5 के तहत परिकल्पित मामला।इन वस्तुओं को कमीशन पर भी नहीं रखा गया था।किसानों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री राजीव धवन ने विद्वान कि किसान और

कोल्ड स्टोर के बीच संबंध बेलर और बेली का था।वह प्रस्तुत करता है कि फसलों को विचार के लिए शीत भंडार को संविदात्मक जमानत पर दिया गया था।

बी.

33. वर्तमान मामले में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, किसान शीत भंडार को भुगतान करने के लिए सहमत हो गया था और इसलिए, माल को ट्रस्ट में नहीं रखा गया था, बल्कि माल को शीत भंडार द्वारा विचार के लिए माल के आधार के रूप में रखा गया था।कृषि उपज का कब्जा बेलर, यानी किसान द्वारा अनुबंध के संदर्भ में कोल्ड स्टोर यानी बेली को सौंप दिया गया था।किसान और शीत भंडार के बीच अंतर-अधिकार और देनदारियाँ हो सकती हैं, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि माल 'विश्वास में' रखा गया था।माल को 'कमीशन पर' भी नहीं रखा गया था।कोई कमीशन देय नहीं था और केवल किराए का भुगतान किया जाता था।इसलिए, हम बीमा कंपनी की ओर से इस तर्क को अस्वीकार करते हैं।

सी.

डी.

सामान्य स्थिति संख्या 1 और 8:

34. श्री मल्होत्रा ने बीमा पॉलिसी की सामान्य शर्तों के भाग बी की शर्त संख्या 1 और 8 पर भरोसा रखा हैः-

“(ख) सामान्य शर्तेंः

ई.

1. यह नीति किसी विशेष सामग्री को गलत तरीके से प्रस्तुत करने, गलत विवरण देने या प्रकट न करने की स्थिति में अमान्य होगी।XXX XXX

XXX

8. यदि दावा किसी भी मामले में धोखाधड़ी है, या यदि कोई झूठी घोषणा की जाती है या उसके समर्थन में उपयोग किया जाता है या यदि बीमित व्यक्ति या उसकी ओर से कोई भी व्यक्ति पॉलिसी के तहत कोई लाभ प्राप्त करने के लिए किसी भी धोखाधड़ी के साधन या उपकरण का उपयोग करता है या यदि नुकसान या क्षति जानबूझकर या बीमित व्यक्ति की मिलीभगत से होती है, तो इस पॉलिसी के तहत सभी लाभ जब्त कर लिए जाएंगे।”

एफ.

35. श्री मल्होत्रा का तर्क है कि बीमा कंपनी को बैंक, कोल्ड स्टोर या किसानों द्वारा सूचित नहीं किया गया था कि कृषि उपज या बीमित सामान किसानों का है और इसलिए पॉलिसी अमान्य है।शुरुआत में, हम इस बात पर ध्यान दे सकते हैं कि गलत निरूपण या गलत विवरण केवल नीति को अमान्य बनाता है।बीमा कंपनी ने कभी भी 3 लंबे वर्षों तक पॉलिसी को अमान्य घोषित

करने का विकल्प नहीं चुना जब यह अस्तित्व में थी और इस स्तर पर, उसे अपने ए से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

जी.

एच.

519

केनरा बैंक बनाम मेसर्स यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और ओआरएस। [दीपाक गुप्ता, जे.] ए.

इस आपत्ति को लेते हुए दायित्व।अन्यथा भी, हमारा विचार है कि बीमा कंपनी की ओर से की गई प्रस्तुति में कोई सार नहीं है।बीमा पॉलिसियों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि परिसर का अलग से 5 करोड़ रुपये का बीमा किया गया था और व्यापार में स्टॉक का बीमा Rs.30 करोड़ रुपये में किया गया था।यह बीमा न केवल उस वर्ष के लिए लिया गया था जब आग लगी थी, बल्कि 3 लंबे वर्षों के लिए नवीनीकृत किया गया था।बीमा पॉलिसी में एक सहमत बैंक खंड था जो इस प्रकार हैः-

बी.

"(1) सहमत बैंक क्लॉजःयह एतद्द्वारा घोषित और सहमत हैः-

(i) कि इस पॉलिसी के तहत देय होने वाले किसी भी धन का भुगतान कंपनी द्वारा बैंक को किया जाएगा और इस तरह से भुगतान किए गए किसी भी धन का ऐसा हिस्सा जो इसके तहत बीमित अन्य पक्षों के हितों से संबंधित हो, बैंक द्वारा ऐसे अन्य पक्षों के लिए एजेंट के रूप में प्राप्त किया जाएगा।

सी.

((ii) कि बैंक की रसीदें उस पर कंपनी का पूर्ण निर्वहन होंगी और इसके तहत बीमित सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी होंगी।"

डी.

36. उपरोक्त खंड स्वयं स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि बीमा कंपनी द्वारा इस बात पर सहमति व्यक्त की गई थी कि विचाराधीन पॉलिसी के तहत देय किसी भी राशि का भुगतान बैंक को किया जाएगा और इस तरह से भुगतान की गई राशि "अन्य पक्षों के हितों से संबंधित" हो सकती है। उक्त राशि बैंक द्वारा अन्य पक्षों के लिए एजेंट के रूप में प्राप्त की जाएगी।इसलिए, बीमा पॉलिसी में ही यह परिकल्पना की गई थी कि केवल बैंक और बीमित व्यक्ति का ही नहीं, बल्कि अन्य पक्षों का भी हित होगा।इसलिए, यह बीमा कंपनी को सत्यापित करना और यह पता लगाना था कि माल का मालिक कौन था।यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता था कि सभी सामान शीत भंडार

के हैं।बीमा कंपनी की इस धारणा का कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है कि उसने शीत भंडार से संबंधित वस्तुओं का बीमा किया था।यह एक सर्वविदित तथ्य है कि शीत भंडार का निर्माण इस तरह से किया जाता है कि शीत भंडार में कई डिब्बे होते हैं।कोई भी व्यक्ति कोल्ड स्टोर में रखने के लिए छोटी या बड़ी मात्रा में सामान जमा कर सकता है।आम तौर पर, यह तीसरे पक्ष का सामान होता है जिसे कोल्ड स्टोर में संग्रहीत किया जाता है और इसलिए, हम बीमा पॉलिसी के साथ काम कर रहे हैं जिसके तहत कोल्ड स्टोर में परिसर और स्टॉक और सामान का बीमा किया गया है।स्वाभाविक परिणाम यह होगा कि बीमा कंपनी को पता होना चाहिए कि माल तीसरे पक्ष का है।बीमा पॉलिसी से हम पाते हैं कि जोखिम के विवरण के संबंध में, बीमा "गुंटूर मिर्च के स्टॉक" को कवर करता है।

ई.

एफ.

जी.

एच.

ब्याडिगी मिर्च/अन्य किस्म की मिर्च, जवार के बीज, बंगाल गरम, लाल चना, ताम्ब्रिंद, धनिया के बीज और अन्य दालें।"

37. व्यापार में इस स्टॉक को Rs.30 करोड़ की राशि के लिए कवर किया गया था और तदनुसार प्रीमियम लिया गया था।एक विवेकपूर्ण बीमा कंपनी को इतनी बड़ी राशि की पॉलिसी जारी करने से पहले, या कम से कम माल के मूल्य और प्रकृति का पता लगाना चाहिए था।हमारे सामने बीमा कंपनी सबसे बड़ी राष्ट्रीयकृत बीमा कंपनियों में से एक है और यह अनुमान लगाया जाना चाहिए कि उसने बीमा पॉलिसी जारी होने से पहले विवरणों को सत्यापित किया होगा।यदि शीत भंडार में जाकर सत्यापन किया गया होता, तो यह आसानी से पता लगाया जा सकता था कि स्टॉक के मालिक कौन हैं।यदि बीमा कंपनी ने स्टॉक का सत्यापन नहीं करने का फैसला किया है तो वह अपनी लापरवाही का लाभ नहीं उठा सकती है।बेरीमा फिडेस के सिद्धांत का कोई उपयोग नहीं है क्योंकि कोल्ड स्टोर ने सभी आवश्यक तथ्यों को घोषित कर दिया था।बैंक खंड ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि माल को बैंक को गिरवी रखा गया था।इसलिए बीमा कंपनी अब यह दावा नहीं कर सकती कि बीमा के समय उसे मालिकों के नाम नहीं दिए गए थे।हम इस तथ्य को भी नहीं भूल सकते कि बीमा पॉलिसी को कम से कम दो बार नवीनीकृत किया गया था।इसलिए, नीति 3 साल के लिए अस्तित्व में थी और यह 3 वें वर्ष में है जब आग लगी थी।

यदि बीमा कंपनी बीमित व्यक्ति को पत्र भी नहीं लिखने का विकल्प चुनती है या माल के मूल्य और माल के स्वामित्व को सत्यापित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाती है, तो वह अब पलटकर यह आग्रह नहीं कर सकती है कि उसे माल की प्रकृति या स्वामित्व के बारे में जानकारी नहीं थी।

बी.

सी.

डी.

ई.

धोखाधड़ी का दावा

38. बीमा कंपनी का यह भी तर्क है कि पूरी योजना धोखाधड़ी है और कोई भी किसान अपनी सही समझ में कृषि उपज को इतने लंबे समय तक संग्रहीत नहीं करेगा।यह तर्क पूरी तरह से निराधार है।

एफ.

39. कोल्ड स्टोर में रखे जाने वाले सामानों में बयाडगी मिर्च प्रमुख घटक है।यह मिर्च की एक बहुत प्रसिद्ध किस्म है और इसे दो प्रकारों-डब्बी और कडि में उत्पादित किया जाता है।इस मिर्च के मुख्य उपयोगों में से एक न केवल भोजन की एक वस्तु के रूप में है, बल्कि लाल रंग के वर्णक को निकालने के लिए एक वस्तु के रूप में है जिसका उपयोग लिपस्टिक, नेल पॉलिश और अन्य सौंदर्य प्रसाधनों आदि के निर्माण में किया जाता है। निकाले गए पदार्थ को ओलियोरेसिन कहा जाता है, जो फली से निकाला गया लाल तेल है।जिस क्षेत्र में यह मिर्च उगाई जाती है, वहां कई शीत भंडार बनाए गए हैं क्योंकि अगर इन मिर्चों को 4 से 6 डिग्री सेल्सियस के कम तापमान पर संग्रहीत किया जाता है, तो रंग और शुद्धता बनी रहती है और इससे ओलियोरेसिन की मात्रा भी बढ़ जाती है जिसे मिर्च से निकाला जा सकता है।इस तरह किसानों ने ए लिया

जी.

एच.

मिर्च को संग्रहीत करने का व्यावसायिक निर्णय क्योंकि इसे संग्रहीत करने के बाद, मूल्य अधिक हो जाएगा।

40. बीमा कंपनी ने यह भी आग्रह किया कि कुछ त्रिपक्षीय समझौतों पर बैंक के अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।यह आग्रह किया जाता है कि यह दर्शाता है कि समझौतों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।हम इस निवेदन से बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं।जब तक त्रिपक्षीय समझौते के पक्षकार यानी बैंक, किसान और शीत भंडार समझौते की शुद्धता पर विवाद नहीं कर रहे हैं, तब तक कोई कारण नहीं है कि हमें इसे एक वास्तविक दस्तावेज के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए।

बी.

भौतिक तथ्यों का खुलासा न करनाः

सी.

41. बीमा कंपनी की ओर से यह आग्रह किया गया है कि 21.03.2013 पर प्रस्ताव फॉर्म जमा करते समय, कोल्ड स्टोर ने वित्तीय संस्थानों सहित बीमायोग्य हित वाले पक्षों के नाम सूचीबद्ध नहीं किए थे।इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि कोल्ड स्टोर ने जानबूझकर इस तथ्य का खुलासा नहीं किया कि उपज किसानों की थी।श्री मल्होत्रा ने सतवंत कौर के फैसले पर भरोसा जताया

डी.

संधू बनाम न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड **5** जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था किः

“25. पूरी चर्चा का परिणाम यह है कि बीमा के अनुबंध में, कोई भी तथ्य जो जोखिम को स्वीकार करने या न करने का निर्णय लेने में एक विवेकपूर्ण बीमाकर्ता के दिमाग को प्रभावित करेगा, एक "भौतिक तथ्य" है।यदि प्रस्तावक को इस तथ्य की जानकारी है, तो वह विशेष रूप से प्रस्ताव प्रपत्र में प्रश्नों का उत्तर देते समय इसका खुलासा करने के लिए बाध्य है।इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि कोई भी गलत उत्तर बीमाकर्ता को अपने दायित्व को अस्वीकार करने का अधिकार देगा क्योंकि यह स्पष्ट धारणा है कि प्रस्ताव प्रपत्र में मांगी गई कोई भी जानकारी बीमा अनुबंध में प्रवेश करने के उद्देश्य से सामग्री है।”

ई.

एफ.

42. शुरुआत में, हम उल्लेख कर सकते हैं कि प्रारंभिक बीमा पॉलिसी वर्ष 2011 में ली गई थी, यदि पहले नहीं, और वह प्रस्ताव प्रपत्र बहुत महत्वपूर्ण था।हमसे पहले बीमा कंपनी द्वारा इसका उत्पादन नहीं किया गया है।इसके बाद, यह केवल नीति का नवीनीकरण था।इसके अलावा, यदि

कोई कॉलम खाली छोड़ दिया जाता है, तो बीमा कंपनी को बीमित व्यक्ति को कॉलम भरने के लिए कहना चाहिए था।प्रस्ताव प्रपत्र में कोई गलत जानकारी नहीं दी गई है, हालांकि यह सच हो सकता है कि सभी आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं की गई थी।कॉलम में उन पक्षों को सूचीबद्ध करने की आवश्यकता है जिनके पास वित्तीय संस्थानों सहित बीमायोग्य हित हैं।चूंकि नीति थी

जी.

5 (2009) 8 एस. सी. सी. 316

एच.

एक बैंक खंड, केनरा बैंक का नाम कॉलम 5 में उल्लिखित होना चाहिए था।वह वहाँ नहीं था।यदि बीमा कंपनी प्रस्ताव प्रपत्र स्वीकार करते समय बीमित व्यक्ति से किसी भी अस्पष्टता को स्पष्ट करने के लिए नहीं कहती है तो बीमा कंपनी प्रीमियम स्वीकार करने के बाद अब यह आग्रह नहीं कर सकती है कि बीमित व्यक्ति द्वारा गलत घोषणा की गई थी।यदि बीमित व्यक्ति ने लिखा था कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसका बीमायोग्य ब्याज था, तो स्थिति अलग हो सकती थी, लेकिन कॉलम को खाली छोड़ने का मतलब यह नहीं है कि तथ्यों की कुछ गलत घोषणा की गई थी।इसलिए, हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि सतवंत कौर संधू के मामले (उपरोक्त) में इस न्यायालय का निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है।

बी.

सी.

43. जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, बीमा कंपनी स्वयं भी इस मामले में कुछ पहल कर सकती थी।एक अनुबंध को अमान्य करने के लिए गैर-प्रकटीकरण कुछ बहुत ही भौतिक तथ्य का होना चाहिए।इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह बेहतर होता कि बैंक और बीमित व्यक्ति बीमा कंपनी को कम से कम 1 त्रिपक्षीय समझौता देते, लेकिन हमारे विचार में, इस मामले के विशिष्ट तथ्यों में, त्रिपक्षीय समझौते या मालिकों के नामों का खुलासा नहीं करना ऐसा भौतिक तथ्य नहीं कहा जा सकता है जिससे पॉलिसी अमान्य या अमान्य हो जाए।हमारा स्पष्ट रूप से मानना है कि कोई धोखाधड़ी का दावा नहीं किया गया है।कोई झूठी घोषणा नहीं की जाती है और न ही किसी जानबूझकर किए गए कार्य या बीमित व्यक्ति की मिलीभगत से नुकसान होता है।

डी.

ई.

44. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि बीमा पॉलिसी के तहत बीमा कंपनी माल के मूल्य के संबंध में कोल्ड स्टोर को क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी है और चूंकि किसान लाभार्थी हैं, इसलिए वे पॉलिसी के तहत देय राशि प्राप्त करने के हकदार हैं।हालाँकि, यह स्पष्ट रूप से बैंक खंड के अधीन होगा जिसका हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं।

एफ.

बैंक की अपील

45. बैंक ने किसानों को दी जा रही राशि के ब्याज हिस्से पर आपत्ति जताई है।अन्यथा यह किसानों के मामले का समर्थन करता है।रिलायंस को पहले से ही ऊपर उद्धृत बैंक खंड पर रखा गया है और यह प्रस्तुत किया गया है कि किसानों को ब्याज का भुगतान करने का राष्ट्रीय आयोग का निर्देश सहमत बैंक खंड के खिलाफ है, जिसके संदर्भ में बैंक को तब तक धन का भुगतान किया जाना है जब तक कि बैंक की बकाया राशि को कवर नहीं किया जाता है।बैंक के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री ध्रुव मेहता ने प्रस्तुत विद्वान कि चूंकि किसान नीति के लाभ का दावा कर रहे हैं, ए

जी.

एच.

523

केनरा बैंक बनाम मेसर्स यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और ओआरएस। [दीपाक गुप्ता, जे.] ए.

वे यह आग्रह नहीं कर सकते कि बैंक खंड लागू नहीं है।उनके द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि राष्ट्रीय आयोग को कानूनी विचारों के आधार पर प्रश्नों पर निर्णय लेना है और ऐसे मामलों में न्यायसंगत विचार या समानता की कोई भूमिका नहीं है।दूसरी ओर, डॉ. राजीव धवन द्वारा यह आग्रह किया गया है कि बैंक खंड केवल एक प्रक्रियात्मक खंड है।46. हम डॉ. धवन के इस कथन को स्वीकार नहीं कर सकते कि बैंक खंड केवल एक प्रक्रिया निर्धारित करता है।बीमा पॉलिसी एक अनुबंध है और राशि का भुगतान अनुबंध की शर्तों के अनुसार किया जाना है।हमारे विचार में, राष्ट्रीय आयोग यह आदेश नहीं दे सकता था कि किसानों को देय राशि पर ब्याज का भुगतान तब तक बैंक को नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि बैंक की देनदारियों का भुगतान नहीं किया जाता है।हमारे सामने तर्क दिए गए हैं कि यह न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग यह सुनिश्चित करने के लिए कर सकता है कि किसानों को न्याय मिले।हम महसूस करते हैं कि अनुच्छेद 142 के तहत अधिकार क्षेत्र को लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि बैंक के बकाया का भुगतान करने के बाद भी, ब्याज के साथ माल के मूल्य की कुछ राशि किसानों को देय होगी।

बी.

सी.

डी.

क्या बैंक की ओर से सेवा में कमी थी

47. बीमा कंपनी की ओर से यह आग्रह किया गया था कि बैंक द्वारा सेवा की कमी है और वास्तव में, यह तर्क दिया गया था कि बैंक ने किसानों के साथ मिलीभगत की क्योंकि उसने उत्पादों का मूल्यांकन ठीक से नहीं किया और इसके अलावा, उसने एक वर्ष के बाद कृषि उपज को बेचने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, जो त्रिपक्षीय समझौते के संदर्भ में उसे स्वतंत्रता थी। हम इस तर्क में कोई बल नहीं पाते हैं।जैसा कि पहले ही ऊपर बताया गया है, कोल्ड स्टोर में संग्रहीत प्रमुख कृषि उपज ब्यादगी मिर्च का मूल्य जितना अधिक समय तक कोल्ड स्टोर में रखा जाता है, उतना ही बढ़ जाता है।इसलिए, बैंक उपज को न बेचने का वाणिज्यिक निर्णय ले सकता था क्योंकि उत्पाद किसी भी तरह से खराब नहीं हो रहा था और इसका मूल्य कम नहीं हो रहा था।

ई.

एफ.

48. राज्य आयोग ने माना था कि सेवा प्रदान करने में बैंक की ओर से कमी थी, लेकिन राष्ट्रीय आयोग ने अन्यथा माना।हमारा विचार है कि बैंक को सीमित सीमा तक छूट दी गई थी।जब बैंक वर्तमान मामले की तरह माल के काल्पनिककरण के खिलाफ ऋण जारी करता है और इस बात पर जोर देता है कि माल का उसके बकाया की सुरक्षा के लिए बीमा किया जाना चाहिए, तो बीमा कंपनी को पॉलिसी के बारे में सूचित करना बैंक का कर्तव्य है।यदि बैंक और बीमा दोनों

जी.

एच.

कंपनी ने वही किया जो अच्छे वित्तीय संस्थानों से अपेक्षित होता, कोई अनावश्यक मुकदमा नहीं होता।मामला इस स्तर तक इसलिए खींचा गया है क्योंकि पॉलिसी में किसानों के नाम का उल्लेख नहीं किया गया था या त्रिपक्षीय समझौता बीमा कंपनी को नहीं सौंपा गया था।एक विवेकपूर्ण वित्तीय संस्थान के रूप में बैंक को इस बात पर जोर देना चाहिए था कि त्रिपक्षीय समझौता भी

बीमा कंपनी को सौंप दिया जाना चाहिए।इसलिए, हम महसूस करते हैं कि बैंक की ओर से कुछ कमी है।

बी.

49. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम महसूस करते हैं कि बैंक संविदात्मक दर पर ब्याज का दावा नहीं कर सकता है और संविदात्मक दर पर ब्याज का दावा करने का हकदार नहीं है क्योंकि किसानों को एक लंबी मुकदमेबाजी के माध्यम से प्रेरित किया गया है जिसे आसानी से टाला जा सकता था यदि बैंक ने स्वयं बीमा कंपनी को त्रिपक्षीय समझौते की प्रति भेजी होती या जोर देकर कहा होता कि बीमित व्यक्ति को इसे बीमा कंपनी को भेजना चाहिए।हम तदनुसार मानते हैं कि बैंक संविदात्मक दर पर ब्याज का दावा नहीं कर सकता है।इसलिए हमारा विचार है कि बैंक ऋण देने की तारीख से ही 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से सरल ब्याज लेने का हकदार होगा।

सी.

डी.

देय दावे की राशिः

50. किसानों ने अपनी अपील में दावा किया है कि बीमा पॉलिसी के संदर्भ में माल के मूल्य का आकलन आग लगने की तारीख को किया जाना था और मूल्य का आकलन उस तारीख के अनुसार नहीं किया जाना था जब माल को शीत भंडार में संग्रहीत किया गया था।इस संबंध में, हम बीमा पॉलिसी के शुरुआती हिस्से का संदर्भ दे सकते हैं जिसमें बीमा कंपनी माल का बीमा करने के लिए सहमत हो गई है।बीमा पॉलिसी का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार हैः-

ई.

एफ.

"यहाँ अनुसूची में नामित बीमित व्यक्ति ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (जिसे इसके बाद कंपनी कहा जाता है) को उक्त अनुसूची में उल्लिखित पूर्ण प्रीमियम का भुगतान किया है।कंपनी इस बात से सहमत है (इसमें निहित या समर्थित या अन्यथा व्यक्त की गई शर्तों और बहिष्करणों के अधीन) कि यदि प्रीमियम के भुगतान के बाद उक्त अनुसूची में वर्णित बीमित संपत्ति या ऐसी संपत्ति का कोई हिस्सा, उक्त अनुसूची में नामित बीमा अवधि के दौरान या किसी भी बाद की अवधि के दौरान, जिसके संबंध में बीमित व्यक्ति ने भुगतान किया होगा, नष्ट या क्षतिग्रस्त हो जाता है और कंपनी इसे स्वीकार कर लेगी।

जी.

एच.

पॉलिसी के नवीनीकरण के लिए आवश्यक प्रीमियम**,** ए

केनरा बैंक बनाम मेसर्स यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और ओआरएस। [दीपाक गुप्ता, जे.] ए.

कंपनी बीमित व्यक्ति को संपत्ति के विनाश के समय या ऐसी क्षति की राशि का भुगतान करेगी या अपने विकल्प पर ऐसी संपत्ति या उसके किसी हिस्से को पुनर्स्थापित या प्रतिस्थापित करेगी।"

51. उपरोक्त खंड के प्रमुख भाग में कोई संदेह नहीं है कि प्राप्त प्रीमियम पर विचार करते हुए बीमा कंपनी ने या तो माल को बहाल करने या उसे बदलने या बीमित व्यक्ति को संपत्ति के मूल्य का भुगतान करने के लिए सहमति व्यक्त की थी।राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग ने इस संबंध में किसानों के दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि किसानों द्वारा उत्पादित बेंगलुरु बाजार की विविधता-वार आवधिक रिपोर्ट से पता चलता है कि ब्याड्गी और गुंटूर मिर्च आदि के लिए न्यूनतम और अधिकतम मूल्य के बीच की सीमा बहुत बड़ी है और औसत मूल्य पर पहुंचने का मतलब यह होगा कि सभी मिर्च मानक गुणवत्ता की हैं।राष्ट्रीय आयोग के अनुसार, यह इस धारणा के आधार पर एक सट्टा अभ्यास होगा कि मिर्च की पूरी मात्रा एक ही वर्ग और विशेषता की है।

बी.

सी.

डी.

52. जिस समय किसान कोल्ड स्टोर में सामान जमा करते थे, उस समय गोदाम की रसीदें सौंपी जाती थीं, जो न केवल कृषि उपज की पहचान देती थीं, बल्कि उस तारीख को कृषि उपज की मात्रा और उसके बाजार मूल्य को भी दर्शाती थीं जब इस उपज को कोल्ड स्टोर में संग्रहीत किया जाता था।हालांकि, उपज की गुणवत्ता गोदाम की प्राप्तियों में नहीं दिखाई देती है।

ई.

53. यद्यपि हम मानते हैं कि ऊपर चर्चा किए गए खंड के संदर्भ में बीमा कंपनी आग लगने की तारीख को माल के मूल्य का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, हम महसूस करते हैं कि राष्ट्रीय आयोग सही था जब यह निष्कर्ष पर पहुंचा कि बेंगलुरु बाजार की विविधता-वार आवधिक रिपोर्ट के आधार पर राशि प्रदान करना संभव नहीं था।यह किसानों द्वारा प्रस्तुत एकमात्र सबूत है और उनके तर्क का समर्थन करने के लिए हमारे ध्यान में लाया गया है।राष्ट्रीय आयोग का कहना सही है कि इस अवधि के दौरान जिस न्यूनतम मूल्य के लिए इस उत्पाद को बेचा गया था और उसी कृषि उपज के लिए अधिकतम मूल्य के बीच का अंतर इतना अधिक है कि बिना यह जाने कि कृषि उपज की गुणवत्ता क्या थी, आग लगने की तारीख को कीमत क्या थी, यह पता लगाना

संभव नहीं होगा।उदाहरण के लिए, बयाडगी मिर्च की कीमत रुपये है। 3, 200 रुपये प्रति कुंतल हो गया। 17, 300 प्रति क्विंटाल अर्थात Rs.32 प्रति किलोग्राम से Rs.173 प्रति किलोग्राम।किसी भी न्यायालय के लिए यह निर्धारित करने का कोई तरीका नहीं है कि सटीक कीमत क्या होगी।

एफ.

जी.

एच.

526

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2020] 7 एस सी आर।

उपज की गुणवत्ता का लाभ नहीं मिला है।दुर्भाग्य से, गोदाम की प्राप्तियों में भी उपज की गुणवत्ता का कोई वर्गीकरण या प्रतिबिंब नहीं होता है।

54. इसलिए हम राष्ट्रीय आयोग के इस निर्णय की पुष्टि करते हैं कि गोदाम की प्राप्तियों में परिलक्षित माल का मूल्य आग लगने की तारीख का मूल्य माना जाना चाहिए।हम यह जोड़ सकते हैं कि यह मूल्य अधिकांश उत्पादों के औसत मूल्य से बहुत अलग नहीं है।हम गोदाम की प्राप्तियों में दिए गए मूल्य पर भरोसा करते हैं क्योंकि यह वह मूल्य था जो किसानों द्वारा दिया गया था, यह न जानते हुए कि उनका उत्पाद जलने वाला है, और शीत भंडार द्वारा स्वीकार किया गया था, जिसे स्थानीय बाजार में उत्पाद का मूल्य पता होना चाहिए था और बैंक द्वारा स्वीकार किया गया था, जिसने इस तरह की जमानत के आधार पर ऋण आगे बढ़ाया था।55. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि बैंक प्रत्येक किसान को उसके द्वारा दी गई मूल राशि की वसूली के साथ-साथ ऋण देने की तारीख से लेकर उसके पुनर्भुगतान तक 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज वसूल करने का हकदार होगा।बीमा कंपनी आग लगने की तारीख से राशि के भुगतान तक 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज के साथ प्रत्येक किसान की गोदाम प्राप्तियों में परिलक्षित माल के मूल्य का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।आग लगने की तारीख तक बैंक का बकाया पहले निर्धारित करना होगा और उसके बाद, अतिरिक्त राशि ब्याज के साथ किसान को देय होगी।

बी.

सी.

डी.

ई.

56. इस मुद्दे को स्पष्ट करने के लिए हम सीनियर नंबर 1 पर पहले किसान-थिप्पा रेड्डी का उदाहरण लेते हैं, जिनके खाते में No.1425844005736, Rs.10,00,000/- का ऋण 30.08.2011 पर स्वीकृत किया गया था।बीमा कंपनी ने घटना की तारीख को उसका बकाया Rs.13,57,307/- पर निकाला है, जबकि गोदाम की रसीद के अनुसार माल का मूल्य 2,00,2000 था।यदि हम Rs.10 पर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष, 30.08.2011 से 14.01.2014 तक 00,000/- की दर से साधारण ब्याज की गणना करते हैं, तो यह लगभग रु. 2,84,712 तक काम करता है।जाहिर है, अगर किसान ने ऋण के लिए कोई राशि का भुगतान किया है तो उसे भी समायोजित करना होगा, लेकिन स्पष्टीकरण के लिए, हम मान रहे हैं कि कोई राशि का भुगतान नहीं किया गया है।इसलिए, 14.01.2014 के प्रभाव से, बीमा कंपनी 10,00,000 पर बैंक को 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी और किसान को भुगतान करने तक 14.01.2014 से 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ-साथ रु. 7,17,288 का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगी।

एफ.

जी.

एच.

527

केनरा बैंक बनाम मेसर्स यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और ओआरएस। [दीपाक गुप्ता, जे.]

ए.

57. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम निम्नलिखित निर्देशों के साथ अपीलों का निपटारा करते हैंः

1. कि बीमा कंपनी प्रत्येक किसान को उसके माल के मूल्य का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी, जिसका मूल्यांकन गोदाम की प्राप्तियों पर उल्लिखित दर के अनुसार किया जाएगा, जब सामान को कोल्ड स्टोर में संग्रहीत किया गया था, हमारे ऊपर दिए गए निर्देश के अनुसार, आग लगने की तारीख से भुगतान या जमा होने तक 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ।

बी.

2. कि केनरा बैंक कर्नाटक राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के समक्ष खातों के प्रमाणित विवरण दाखिल करेगा, जिसमें प्रत्येक किसान को दिए गए ऋण की मूल राशि और बैंक को देय राशि को दर्शाया जाएगा, जिसमें बैंक को ऋण खाते में प्राप्त भुगतानों को समायोजित करने के बाद 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज की गणना की जाएगी।

सी.

3. बैंक खातों के विवरण में उपरोक्त ब्याज दर के साथ 30.04.2020 तक की देय राशि भी निर्धारित करेगा।4. उपरोक्त विवरण राज्य आयोग के समक्ष 02.03.2020 पर या उससे पहले दाखिल किया जाना चाहिए।

डी.

5. कि इसके बाद, राज्य आयोग प्रत्येक अपील में किसान को देय राशि का निर्धारण ऊपर दिए गए स्पष्टीकरण के संदर्भ में गणना करके करेगा, अर्थात बैंक को देय राशि को 14.01.2014 पर समायोजित करने के बाद।यह अभ्यास 31.03.2020 पर या उससे पहले पूरा किया जाना चाहिए।

ई.

6. उपरोक्त राशि में से बीमा कंपनी ऋण अग्रिम करने की तारीख से सीधे बैंक को भुगतान करने की तारीख तक 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज के साथ ऋण की राशि का भुगतान करेगी।

एफ.

7. इसके बाद, बीमा कंपनी किसानों को देय राशि राज्य आयोग के पास 30.04.2020 पर या उससे पहले जमा करेगी।

जी.

58. सभी अपीलों का निपटारा उपरोक्त शर्तों में किया जाता है।लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का भी निपटारा कर दिया जाएगा।

दिव्या पांडे

अपीलों का निपटारा किया गया।

एच.